



## JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483

Regd. Office: New Power House, Jodhpur- 342003

Phone No: 0291-2746255

E-mail: seppmju@gmail.com Web site: www.idvvn.com

क्रमांक : जोडि/अ.मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अभि.(पीपीएम) /अधि. अभि. (एसएण्डआई)/ फा. कृषि/प्रे० 3587 दिनांक 3/2/17

### आदेश

विषय :- वर्ष 2016-17 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ. 213 दिनांक 01.04.2015 में 31 अक्टूबर 2009 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदनों के मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था।

निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ. 220 दिनांक 22.09.2016 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के आवेदक, जिन्होंने दिनांक 31.03.2013 तक आवेदन किया है, उनके मांग पत्र जारी कर नियमानुसार कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था।

अब यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी 2010 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के आवेदनों के मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावें।


निगम के समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा निगम के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सभी सामान्य श्रेणी के तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरंत प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता के आधार पर यथावत जारी करते रहें।

सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिए सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

अन्य नियम एवं शर्तें पूर्व में जारी आदेश आर.ई.ओ. 202 दिनांक 30.11.2012 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

उपरोक्त आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।


आज्ञा से

  
(एम.आर.मीणा) 03/2/17

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. संभागीय मुख्य अभियंता (जोध./बीका/बाड़ जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
5. मुख्य अभियंता (एमएमएण्डसी/एमएम/आरजीजीवीवाई/सीएण्डपी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (आई एण्ड ए/बी एण्ड आर/डब्ल्यू एण्ड एम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंधक निदेशक महोदय, जोधपुर/जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर।
9. अधीक्षण अभियंता (नगर वृत्त/जिला वृत्त/परि. एवं संधा./सतर्कता/टी.डब्ल्यू./वाणिज्य/ एमएमसी/ एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालोर/जैसलमेर/बाड़मेर/चुरू/बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर।
- 10. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/ उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. निजी सचिव, मा.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
13. निजी सचिव, सलाहकार (एम) राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (परि. एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/सिरोही/बाड़मेर/जैसलमेर/जालोर/बीकानेर/चुरू/हनुमानगढ़/श्री गंगानगर।
16. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर।
17. कंपनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
18. जनसंपर्क अधिकारी जोविनिनि, जोधपुर।

  
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर